संख्या 38/37/08-पी. एवं पी.डब्ल्यू.(ए)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग
लोकनायक भवन, नई दिल्ली-110003.

* * *

दिनांक : 28 सितम्बर, 2010

**कार्यालय ज्ञापन**

विषय :- छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय का कार्यान्वयन – 2006 पूर्व के पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों की पेंशन का संशोधन ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग के दिनांक 21.5.2009 तथा 11.8.2009 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन में प्रावधान था कि जन्मतिथि/आयु की तारीख की सूचना के पीपीओ अथवा कार्यालय रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं होने के मामले में 80 वर्ष तथा उससे ऊपर की आयु पूरी होने पर अतिरिक्त पेंशन/कुटुम्ब पेंशन के भुगतान हेतु जन्मतिथि/आयु की तारीख के प्रमाण के रूप में पैन कार्ड, मेट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, सीजीएचएस कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस तथा मतदाता पहचान पत्र जैसे कतिपय दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे । यह भी प्रावधान किया गया था कि पेंशन वितरण प्राधिकारी/बैंक उपर्युक्त प्रकार से अनंतिम आधार पर अतिरिक्त पेंशन/कुटुम्ब पेंशन, पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी द्वारा जन्मतिथि/आयु की तारीख के प्रमाणपत्र के प्रस्तुत किए जाने के माह से तीन माह तक भुगतान करेंगे । ऐसे मामलों में पेंशन वितरण अधिकारी/बैंक पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति अतिरिक्त पेंशन/कुटुम्ब पेंशन के औपचारिक रूप से प्राधिकृत करने हेतु वेतन तथा लेखा अधिकारी/सीपीएओ को तत्काल भेज देंगे । पेंशन वितरण अधिकारी/बैंक केवल वेतन तथा लेखा अधिकारी से ऐसा प्राधिकरण प्राप्त होने के बाद ही तीन महीने से आगे की अवधि हेतु अतिरिक्त पेंशन/कुटुम्ब पेंशन का भुगतान करेगा । इन अनुदेशों को इस विभाग के दिनांक 25.6.2010 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन में दोहराया गया था ।

2. इस विभाग के ध्यान में यह बात लाई गई है कि कई मामलों में पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी द्वारा जन्मतिथि/आयु की तारीख के प्रस्तुत करने के माह से निर्धारित तीन माह की अवधि के समाप्त होने के बाद भी कार्यालय अध्यक्ष से अनुमोदन की स्वीकृति की गैर-प्राप्ति के कारण वेतन तथा लेखा अधिकारी द्वारा अंतिम प्राधिकरण की सूचना पेंशन वितरण अधिकारी को नहीं दी जाती ।

3. ऐसे मामलों में, पेंशन वितरण अधिकारी बैंकों द्वारा अतिरिक्त पेंशन को रोक देने के कारण वृद्ध पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगियों को होने वाली मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि जिन मामलों में पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी द्वारा कोई भी निर्धारित दस्तावेज जन्मतिथि/आयु की तारीख के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया गया है, उनमें अतिरिक्त

पेंशन/कुटुम्ब पेंशन का भुगतान 31.12.2010 तक अथवा पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी द्वारा जन्मतिथि/आयु की तारीख के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के माह से छः माह की अवधि के लिए, जो भी बाद में हो, अतिरिक्त पेंशन/कुटुम्ब पेंशन का भुगतान किया जाता रहेगा । कार्यालय अध्यक्ष यह सुनिश्चित करे कि स्वीकृति से संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाए तथा उसी अवधि के दौरान अतिरिक्त पेंशन अनुमोदित कर दी जाए । यदि पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी दिनांक 21.5.2009 तथा 11.8.2009 के कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित दस्तावेजों के प्रस्तुतिकरण में असफल होता है और फिर भी अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर हकदारी का दावा करता है, तो ऐसे मामले प्रशासनिक मंत्रालय को प्रस्तुत किए जाएं । यदि प्रशासनिक मंत्रालय ऐसे पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी की हकदारी से संतुष्ट हैं, तो वह तदनुसार अतिरिक्त पेंशन/कुटुम्ब पेंशन प्राधिकृत करेगा । इस संबंध में प्रशासनिक मंत्रालय का निर्णय अंतिम होगा ।

तृप्ति घोष

(तृप्ति पी. घोष)
निदेशक
दूरभाष : 24624802

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. सीजीए/सीपीएओ
3. मानक सूची के अनुसार